

सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

प्रस्ताव की राज्य क्रम

संख्या

परियोजना स्कीम का स्थान:-

जनपद उत्तरकाशी में नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से भैरौता रस्टाडी होते हुये कण्डारु तक मोटर मार्ग का निर्माण।

- | | | |
|--------|---|----------------------------|
| (i) | राज्य संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड |
| (ii) | जिला | उत्तरकाशी |
| (iii) | वन प्रभाग | अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट |
| (iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर में) | 3.15 है० |
| (v) | वन की कानूनी स्थिति | सुरक्षित वन व सेयम वन भूमि |
| (vi) | हरियाली का घनत्व | 0.4 से अधिक |
| (vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाय सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किया जाये। | संलग्न है। |
| (viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी | संवेदनशील क्षेत्र नहीं है |
| (ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा में अनुमानित दूरी | वन भूमि से कुछ दूरी |
| (x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायें) | नहीं |
| (xi) | क्या क्षेत्र की वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/सकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि है/ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | नहीं |
| (xii) | क्या सुरक्षित पुरातात्वीय/प्रारम्परिक स्थल/रथा प्रतिष्ठान और कोई | |

अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण

प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। **नहीं**।

प्रस्तावित भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प

नहीं तो जॉचे गये विकल्पों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है। **नहीं**।

यदि वन अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) **नहीं**।

यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही **नहीं**।

सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र, **संलग्न है**।

आस-पास के वन से इनकी दूरी भू-खण्डों की संख्या

प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित **संलग्न है**।

वन क्षेत्र आस-पास की सीमाओं को दर्शाता मैप

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण **संलग्न है**।

स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।

(vi) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिस्यय। **संलग्न है**।

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की **संलग्न है**।

उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से।

सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन

संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त **संलग्न है**।

कालम (xi, xii) 8 और 9 में पुछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

दिभाग / जिला प्रोफाइल

(i) जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल 99279.707 है० अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

(ii) जिले का वन क्षेत्रफल 89379.711 है० अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

(iii) नामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र। 52 प्रभाग है - 61.48 है०

(vi) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।

(9)

(iii) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि 144.27 ई०

(iv) वनेत्तर भूमि पर।

(v) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति।

(vi) वन भूमि पर।

(vii) वनेत्तर भूमि पर।

133.02 ई०

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्वीति दी जाती है।

दिनांक 25-12-2013

वडाकाट



हस्ताक्षर.....

नाम डी० के० सिंह

प्रभागीय वनाधिकारी

सरकारी मोहुरा.....

बड़कोट